



DrGenius Academy Welcomes You

Let's Begin Journey Together
And Achive Dream
Together

Dr Surendra Dhiwa

Educator

(Law | Public administration and management)

(Polity and IR | Audit and Accounting)



धारा 55 → समितियाँ →

✓ (1) कार्यपालक समिति →

गठन → नगरपालिका का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विपक्ष का नेता

* सदस्य → नगरनिगम, नगरपरिषद → 7 (2 महिला सदस्य)
 नगरपालिका बोर्ड → 5 या 5 से कम

* उपधारा 3 के अधीन गठित समितियों के अध्यक्ष

→ पदेन सचिव → मुख्य कार्यपालक अधिकारी

3) अन्य समितियां -

(i) विश्व समिति

(ii) एक या अधिक स्वास्थ्य तथा स्वच्छता समिति

(iii) एक या अधिक खारबजाने के मार्गों, भवनों, स्थानों हेतु रोशनी समिति

50 वार्डों तक 1 समिति

51-75 " " 2 समिति

75 से ज्यादा 3 समितियां

(iv) यौवन अनुशासन और संदर्भ समिति

(v) गरीब बस्ती सुधार समिति

(vi) महिला और बाल विकास, गरीबी उन्मूलन, PDS (सार्वजनिक वितरण योजना), जहरत में लोगों के लिए भोजन व्यवस्था समिति

(vii) नियम तथा उपनिधियां समिति

(viii) अपराधों के शमन तथा समसौहार्द समिति

नगर निगम - 8

नगर परिषद - 6

नगरपालिका बोर्ड - 4

नगरपालिका के गठन के 90 दिन के भीतर इन
समितियों का गठन किया जाना है \Rightarrow अलफल रहने पर



राज्य सरकार

द्वारा इनका

गठन किया जाता

है।

→ निर्वाचित + नामानिर्दिष्ट दौना ही लक्ष्य बन
सकते हैं।

धारा 56

सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों को एवं समितियों में शामिल कब किया जा सकेगा —

→ कब → नगरपालिका के सदस्यों में से आधे सदस्यों द्वारा संकल्प प्रस्तावित करके

→ कितने = समिति के सदस्यों की कुल संख्या का $\frac{1}{3}$

→ कार्य जालक समिति के अलावा।

धारा 57 → समिति का अध्यक्ष →

- ↓
- (i) अगर नगरपालिका अध्यक्ष समिति का सदस्य है ⇒ पदेन अध्यक्ष
 - (ii) अगर अध्यक्ष अनुपस्थित/समिति में शामिल नहीं है तथा उपस्थित समिति में शामिल ⇒ उपस्थित → पदेन अध्यक्ष
 - (iii) दोनों ही नहीं ⇒ नगरपालिका, सदस्यो में से किसी को अध्यक्ष बनाएगी।

धारा 58 → बैंकों में अपनारि जाने वाली
प्रक्रिया →

(i) साधारण बैंक - 2 माह के भीतर

(ii) संपत्ति का अद्यक्ष लगातार 15 दिन से ^{अधिक} अनुपस्थित है तो
नगरपालिका का अद्यक्ष / उपाद्यक्ष बैंक बुलाएगा।

(iii) विरोध बैंक →

विशेष बैठक

→ नगरपालिका का अध्यक्ष या समिति के कम से कम 2 सदस्यों के लिखित अनुरोध

पर ⇒ अनुरोध प्राप्त होने के दो दिन के भीतर।

गाण पूर्ति

→ जब तक चाहे सदस्य उपस्थित न हो।

धारा 59 → समितियों का नगरपालिका के अनुदेशों
(Instructions) के अधीनस्थ होना तथा
नगरपालिका की अध्यादेशों (requisition) का
उन्के द्वारा अनुपालन किया।

धारा 60 → वार्ड समिति के कार्य →



THANK YOU

For Join Our Session



 +91-9636280355

www.drgenius.academy.com

